

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1701/स०क०/शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-25.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु **द्वितीय चरण** की निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	द्वितीय चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22 )
1	2	3
<b>कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी</b>		
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	29 अक्टूबर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक
2	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व दो कार्य दिवसों में।

	केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	02 दिसम्बर, 2021 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	30 अक्टूबर, 2021 से 03 दिसम्बर, 2021 तक
5	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	10 दिसम्बर, 2021 तक
6	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	04 दिसम्बर, 2021 से 13 दिसम्बर, 2021 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	14 दिसम्बर, 2021 से 22 दिसम्बर, 2021 तक
8	सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	14 दिसम्बर, 2021 से 19 दिसम्बर, 2021 तक
9	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके विलम्बतम 21 दिसम्बर, 2021 तक
10	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 दिसम्बर, 2021 से 22 दिसम्बर, 2021 तक

11	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	23 दिसम्बर, 2021 से 24 दिसम्बर, 2021 तक
12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	25 दिसम्बर, 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	27 दिसम्बर, 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर, 2021 तक

**नोट:-**

- 1- शासनादेश संख्या-116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 08-10-2021 एवं शासनादेश संख्या-119/2021/3040/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 19-10-2021 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय सारिणी के प्रथम चरण के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक किया जायेगा।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (**Promoted with marks/Promoted without marks**) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (14 दिसम्बर, 2021 से 19 दिसम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा

संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
  - 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके।
- 3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(राकेश कुमार सचान)


उप सचिव।

पृ0सं0-120/2021/3106 (1)/26-3-2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(राकेश कुमार सचान)

उप सचिव।

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1701/स०क०/शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-25.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु **द्वितीय चरण** की निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	द्वितीय चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22 )
1	2	3
<b>कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी</b>		
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	29 अक्टूबर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक
2	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व दो कार्य दिवसों में।

	केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	02 दिसम्बर, 2021 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	30 अक्टूबर, 2021 से 03 दिसम्बर, 2021 तक
5	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	10 दिसम्बर, 2021 तक
6	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	04 दिसम्बर, 2021 से 13 दिसम्बर, 2021 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	14 दिसम्बर, 2021 से 22 दिसम्बर, 2021 तक
8	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	14 दिसम्बर, 2021 से 19 दिसम्बर, 2021 तक
9	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके विलम्बतम 21 दिसम्बर, 2021 तक
10	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 दिसम्बर, 2021 से 22 दिसम्बर, 2021 तक

11	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	23 दिसम्बर, 2021 से 24 दिसम्बर, 2021 तक
12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	25 दिसम्बर, 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	27 दिसम्बर, 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर, 2021 तक

**नोट:-**

- 1- शासनादेश संख्या-116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 08-10-2021 एवं शासनादेश संख्या-119/2021/3040/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 19-10-2021 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय सारिणी के प्रथम चरण के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक किया जायेगा।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (**Promoted with marks/Promoted without marks**) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (14 दिसम्बर, 2021 से 19 दिसम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा

संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
  - 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके।
- 3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)  
उप सचिव।

पू0सं0-120/2021/3106 (1)/26-3-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)  
उप सचिव।